न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 86 / 2014 **(RCMS No. 2014/00110)**

वादी

1. किशोरसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नारायणसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी कुकनवाली तह. कुचामनसिटी
3. श्रीमति चांदकंवर पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नि स्व. नाथूसिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत कुकनवाली
4. श्रीमति पुष्पाकंवर पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी स्व. टंवरसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी कुकनवाली
5. हनुमानराम पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
6. तहसीलदार भूमिधारी कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
7. उप पंजीयक, कुचामनसिटी

वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री हनुवन्तसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनॉक :— 30-10-19

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्वर्गीय हरिसिंह के पुत्र व पुत्रिया है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी की सगी बहिने हे जिनको पक्षकार वाद बनाया गया है, प्रतिवादी सं. 5 सह—खातेदार होने से तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 तहसीलदार उप पंजीयक होने से औपचारिक पक्षकार बनाये गये है, वादी के पिता का देहान्त दिनांक 05.04.1[illegible] [illegible] माता का दिनॉक 11.01.2012 का हो चुका है, सजरा खानदान निम्नवत है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:01 IST
Reason: SelfAttested

हरिसिंह

भंवरकंवर	किशोरसिंह	चांदकंवर	पुष्पा[illegible]	नारायणसिंह	[illegible]सिंह
(पत्नि फौत)	(पुत्र)	(पुत्री)	(पुत्री)	(पुत्र)	(पुत्र)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर, व खसरा नम्बर 437, 438, 859/1, 862, 1126/863 कुल रकबा 3.49 हैक्टर में वादी वं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम भूमि आई हुई है, उपरोक्त खसरान 437, 438, 859/1, 862, 1126/863 कुल रकबा 3.49 में वादी का 1/5 हिस्सा है क्योंकि वादी की माता भंवरकवंर पत्नि स्व. हरिसिंह का देहान्त दिनॉक 11.01.2012 को हो जाने के बाद उनके स्थान पर जरिये नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 का नाम दर्ज नही हुआ है उक्त खसरान के कुल रकबा 3.49 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी 1 से 4 अर्थात प्रत्येक का बहिस्सा बराबर–बराबर रकबा 0.6980 हैक्टर बनता है, खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 तथा 2 व उनकी माता स्वर्गीय भंवरकंरव बैवा हरिसिंह का प्रत्येक का रकबा 1.2075 हैक्टर हिस्सा बनता था, जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने संयुक्त रूप से अपना आधा–आधा हिस्सा अर्थात कुल 1.2075 हैक्टर प्रतिवादी सं. 5 को बेचान कर दिया था व उक्त बेचान द्वारा दिनॉक 20.09.2006 को नामान्तरकरण सं. 681 द्वारा नारायणसिंह व राजेन्द्रसिंह पि. स्व. हरिसिंह द्वारा अपना 1/2 हिस्सा बेचान करने पर खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर में खातेदार हनुमानराम पुत्र मांगुराम जाति जाट का हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया उसके बाद खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता भंवरकंवर का देहान्त हो जाने से प्रत्येक का हिस्सा निम्नवत शेष रहता है,

वादी	0.9660 हैक्टर
प्रतिवादी सं. 3	0.9660 हैक्टर
प्रतिवादी सं. 4	0.9660 हैक्टर
प्रतिवादी सं. 1	0.3624 हैक्टर
प्रतिवादी सं. 2	0.3624 हैक्टर
प्रतिवादी सं. 5	1.2075 हैक्टर
	कुल रकबा 4.8303 हैक्टटर

इसलिए वादी अपने हिस्से का सीमांकन द्वारा बंटवारा होने के बाद अलग से खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है, वादी व प्रतिवादीगण की माता भंवरकंवर के स्थान पर भी जरिये नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने है जबकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 बिना सीमाकन ही उपरोक्त भूमि को बेचान करने पर उतारू है वादी की इस्तदुआ है कि एक डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध [illegible] सं. 1 से 4 इस आशय की जारी फरमावें कि बिना सीमांन द्वारा बंटवारा हुए [illegible] कुकनवाली के खसरा नम्बर 438 रकबा 4.83 हैक्टर व खसरा नम्बर 437 [illegible] 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 438 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 859/1 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 1126/863 रकबा 0.15 हैक्टर के किसी भाग का बेचान न तो स्वयं करे ओर न ही अपने प्रतिनिधियो से करावे, प्रतिवादी संख्या 6 को राजस्व रेकार्ड की

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:01 IST
Reason: SelfAttested

....3....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावे व प्रतिवादी सं. 7 को उक्त खसरान का बेचान पंजियन नही करने बाबत पाबन्द फरमाया जावे, उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के बीच उनकी माता स्वर्गीय भंवरकंवर के स्थान पर नाम दर्ज कर सीमांकन द्वारा बंटवारा करने के आदेश सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारी को प्रदान करावे व वादी के नाम खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर में 0.9660 हैक्टर व खसरा नम्बर 437 438 859 / 1 862 1126 / 863 रकबा 3.49 हैक्टर में हिस्सा 0.6980 हैक्टर अलग से कायम किया जाकर माफिक बंटवारा रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 5 के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा, प्रतिवादी सं. 6 व 7 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर में प्रतिवदी सं. 1 व 2 का 0.3625 हैक्टर व 0. 3625 हैक्टर हिस्सा शेष है जिसके व खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि को बेचान हस्तानान्तरण करने के काननून हक अधिकार है, वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार का बिनाय दावा ही उत्पन्न नही होता है, वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा वाद बाबत बिनाय दावा उत्पन्न होने बाबत नही लिखा है इसलिए वादी का वाद काबिल खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिदावा में कथन किया है कि उपरोक्त भूमि ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर, व खसरा नम्बर 437 438 859 / 1 862 1126 / 863 रकबा 3.49 हैक्टर भूमि आई हुई है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है, व खसरा नम्बर 437 438 859 / 1 862 1126 / 863 रकबा 3.49 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 का 1 / 5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1 / 5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1 / 5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1 / 5 हिस्सा, व वादी सं. 1 का 1 / 5 हिस्सा है, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की व वादी की माता भंवरकंवर पत्नि हरिसिंह का देहान्त दिनॉक 11.01.2012 को हो जाने से नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 ता 4 व वाद के नाम दर्ज नही हुआ है, उक्त खसरान के कुल रकबा 3.49 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 व वादी का बहिस्सा बराबर–बराबर रकब 0.6980 हैक्टर बनता है, खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर में प्रतिवादी 1 ता 5 व वादी का निम्न प्रकार हिस्सा बनता है, प्रतिवादी 1 व 2 द्वार अपने हिस्से की भूमि रकबा 1.9320 हैक्टर में से 1.2075 हैक्टर का बेचान प्रतिवादी सं. 5 को [illegible] व वादी का निम्न हिस्सा बनता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1	[illegible] हैक्टर
प्रतिवादी सं. 2	[illegible] हैक्टर
प्रतिवादी सं. 3	[illegible] हैक्टर
प्रतिवादी सं. 4	[illegible] हैक्टर
प्रतिवादी सं. 5	1.20750 हैक्टर
वादी	0.96600 हैक्टर
कुल रकबा	4.83000 हैक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी सं. 1 ता 4 प्रतिदावा के पेरा सं. 3 में वर्णित खसरान की भूमि में से प्रत्येक के अपने अपने हक हिस्से की 1/5 भूमि रकबा 0.6980 हैक्टर भूमि प्रत्येक के हिस्से की तथा पैरा सं. 4 में वर्णित भूमि का सीमाकंन द्वारा बंटवारा होने के बाद अलग से खातेदार दर्ज करवाना चाहते है, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की इस्तदुआ है कि पक्षकारान की माता भंवरकंवर के स्थान पर उनके नाम दर्ज किये जावे तथा सीमांकन द्वारा बंटवारा करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियो को प्रदान करावे, उपरोक्त अनुसार अलग रकबा कायम किया जावे तथा खातेदार घोषित किया जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा नकल खतौनी सम्वत 2062–65, 2070–73, नक्शा ट्रेस की नकल, हरिसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, भंवरकंवर के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई, प्रतिवादी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–73 नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की गई। मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी की ओर से राजेन्द्रसिंह एवं नारायणसिंह के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

वादी द्वारा सुनवाई दौरान वादी की ओर से पैरवी करना बन्द कर दिया तथा नोट प्रेस किया। तत्पश्चात एकतरफा सुनवाई शुरू की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिसने प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में अंकित इस्तदुआ अनुसार वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है तथा बंटवारा के संबंध में किस किस पक्षकार को कौन कौनसी भूमि दी जानी है जिसका उल्लेख नही होने से बंटवारा का अनुतोष नही दिया जा सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2062–65 ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 437 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 438 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 859/1 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 1126/863 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 8.32 हैक्टर में भंवरकंवर बैवा हरिसिंह किशोरसिंह नारयणसिंह राजेन्द्रसिंह पि. हरिसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन राजेन्द्रसिंह का हिस्सा ज.ना.आ.ग्रा.बैंक शाखा कुकनवाली मूर्तहीन, नामा. 681 बेचान 20.09.2006 के द्वारा खसरा नम्बर 856 में से नारायणसिंह राजेन्द्रसिंह पि. हरिसिंह द्वारा अपना 1/2 हिस्सा बेचान करने पर खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हैक्टर खातेदार हनुमानराम पुत्र मांगूराम हि. 1/4 जाति जाट भंवरकंवर बैवा हरिसिंह किशोरसिंह पुत्र हरिसिंह 1/2 हिस्सा नारायणसिंह राजेन्द्रसिंह पि. हरिसिंह 1/4 जाति राजपूत सा. देह के नाम दर्ज किया गया शेष आराजियात [illegible] रहा, नामा. 675 रहनमुक्त 15.11.2006 के द्वारा राजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह [illegible] किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2070–2073 ग्राम कुकनवाली [illegible] रकबा 4.83 हैक्टर में हणमानराम पुत्र मांगुराम हि.1/4 जाति जाट भंवरकंवर पति हरिसिंह किशोरसिंह पुत्र हरिसिंह 1/2 नारायणसिंह राजेन्द्रसिह पि. हरिसिंह 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हनुमान पुत्र मांगू का हिस्सा ज. ना. आ. ग्रा.बैंक शाखा कुकनवाली मूर्तहीन, नकल खतौनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सम्वत 2070–73 ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 437 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 438 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 859/1 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 1126/863 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 3.49 हैक्टर में भंवरकंवर पत्नि हरिसिंह किशोरसिंह नारायणसिंह राजेन्द्रसिंह पि. हरिसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है, मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार हरिसिंह एवं भंवरकंवर की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा	काश्तकार का नाम
कुकनवाली	856	4.83	किशोरसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा–3/10 राजपूत सा. देह खातेदार
			चांदकंवर पुत्री हरिसिंह हिस्सा– 1/20 राजपूत सा. देह खातेदार
			नारायणसिह पुत्र हरिसिंह हिस्सा–7/40 राजपूत सा. देह खातेदार
			पुष्पाकंवर पुत्री हरिसिंह हिस्सा–1/20 राजपूत सा. देह खातेदार
			राजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा–7/40 राजपूत सा. देह खातेदार
			हनुमानराम पुत्र मांगूराम हिस्सा–1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्ण खाता)ज.थार ग्रा. बैक शाखा कुकनवाली

नकल खतौनी सम्वत 2074 से 2077

ग्राम	ख.नं.	रकबा	काश्तकार का नाम
कुकनवाली	1126	0.15	किशोरसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा–3/10 राजपूत सा. देह खातेदार चांदकंवर पुत्री हरिसिंह हिस्सा– 1/20 राजपूत सा. देह खातेदार नारायणसिह पुत्र हरिसिंह हिस्सा–3/10 राजपूत सा. देह खातेदार पुष्पाकंवर पुत्री हरिसिंह हिस्सा–1/20 राजपूत सा. देह खातेदार राजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा–3/10 राजपूत सा. देह खातेदार
	863		
	1146	0.30	
	859		
	437	0.03	
	438	2.68	
	862	0.33	
कुल रकबा		3.49	

<u>तनकी संख्या 1–</u> को साबित करने का भार वादी पर रहा, जिसने पैरवी बन्द किय जाने से तनकी संख्या एक को निर्णित करने ककी आवश्यकता नही रही।

<u>तनकी संख्या 2–</u> आया ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 856 रकबा 4.83 हक्टैर में से प्रतिवादी सं. 1 के 0.36225 हैक्टर, प्रतिवा[illegible] के 0.36225 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 3 के 0.9660 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 4 के 0.9660 हैक्टर व प्रतिवादी सं. 5 के 1.20750 हैक्टर व वादी के 0.9660 हैक्टर दर्ज की जावे [illegible] खसरा नम्बर 437 438 859/1 862 1126/863 कुल रकबा 3.49 हैक्टर में वादी [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के बराबर बराबर 1/5 हिस्सा दर्ज कराने के मुश्तहक है ? <u>जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 ता 4</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा केवल जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–2073 एवं नक्शा ट्रेस

.....6.......

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें इनकी माता भंवरकंवर के नाम भूमि अन्य खातेदारान के साथ दर्ज चली आई है, भंवरकंवर की मृत्यु होने पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी मुताबिक हिस्से अंकित हो चुके है, प्रतिवादी 1 से 4 द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है कि उपरोक्त भूमि उनके पूर्वजो के नाम दर्ज चली आई हो तथा प्रतिवादी नारायणसिंह एवं राजेन्द्रसिंह द्वारा उपरोक्त भूमि में बेचान कब किया हो इसके संबंध में बेचान दस्तावेजात एंव नामान्तरकरण इत्यादि की नकल भी प्रस्तुत नही की गई है, अपना खाता जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मुताबिक भंवरकंवर के फौत होने पर उसका नाम हटाया गया है तथा हरिसिंह की पुत्रियो पुष्पाकंवर चान्दकंवर का नाम भी जमाबंदी में दर्ज किया गया है तथा साथ ही हरिसिंह के पुत्रो पुत्रियो का हक हिस्सा अंकित किया गया है, जिस प्रकार प्रतिवादी 1 से 4 ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा चाहा गया है वह बिना पुराने रेकार्ड इत्यादि साबित नही हो पा रहा है, अतः प्रतिवादी 1 से 4 अपना प्रतिदावा साबित करने में असफल रहने से यह तनकी प्रतिवादी 1 से 4 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

आदेश

अतः प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का साबित नही होने से वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनॉक 30.10.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 86/2014 **(RCMS No. 2014/00110)**

वादी

1. किशोरसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नारायणसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी कुकनवाली तह. कुचामनसिटी
3. श्रीमति चांदकंवर पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नि स्व. नाथूसिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत कुकनवाली
4. श्रीमति पुष्पाकंवर पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी स्व. टंवरसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी कुकनवाली
5. हनुमानराम पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी
6. तहसीलदार भूमिधारी कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
7. उप पंजीयक, कुचामनसिटी

वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53 व 188 R.T.Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील हनुवन्तसिंह अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता **है अतः प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का साबित नही होने से वाद खारिज किया जाता है।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी

सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे ... के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official